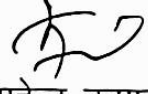


फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत : अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीनमाल, जिला जालोर।

आदेश की ता०	कार्यवाही मय लघु हस्ता० जज  जय भवानी सीमेंट एजेंसी, जरिए प्रो. चंदन सिंह बनाम हितेश सिंह सी.आई.एस. सं. 1223/2021	न. व ता. जो इस आदेश की तामील में जारी हुए
09.05.2026	पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत से प्राप्त हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त हितेश सिंह पुत्र बाबूसिंह, निवासी मणघर, तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 138 एन.आई. एक्ट में अंतर्गत धारा 327 सी.आई.एस. के तहत दोषमुक्त घोषित किया जा चुका हैं। लोक अदालत के अधिनिर्णय के प्रकाश में पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली लोक अदालत के निर्णय के अनुसार फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।  (महेन्द्र कुमार टॉक) अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीनमाल, जालोर।	